संख्याः–2206/11–5–2010–500(21)/2010

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 15 जून, 2010

विषय : विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की अपंजीकृत सम्पत्तियों के पंजीकरण की समीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग राज्य के राजस्व अर्जन के प्रमुख स्रोतों में से एक है। विभाग का राजस्व अर्जन मुख्यतया अपंजीकृत विलेखों के पंजीयन पर आधारित है। स्थावर सम्पत्ति के विलेखों के पंजीयन से जहॉ एक ओर शासन को राजस्व की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी तरफ सम्बन्धित पक्षकार को वैध टाइटिल प्राप्त होता है ।

2. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 13917 सन् 2009 सूरज लैम्प एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य व अन्य में पारित निर्णय द्वारा अवैध अन्तरणों को रोकने के सम्बन्ध में अपेक्षित उपाय प्रभावी किये जाने की अपेक्षा की गई है।

3. अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश शहरी योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) एवं उत्तर प्रदेश अधिनियम 30 सन् 1974 द्वारा पुर्नविनियमन के अन्तर्गत गठित विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1966) के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा आवंटित परन्तु अपंजीकृत सम्पत्तियों के पंजीकरण की समीक्षा प्रति माह करना सुनिश्चित करें, जिससे अवैध अन्तरणों एवं स्टाम्प शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व पर प्रभावी नियन्त्रण किया जा सके।

4. आपसे अपेक्षा है कि कृपया समीक्षा के उपरान्त संलग्न प्रारूप पर इसकी सूचना प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

5. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

भवदीय,
ह0अस्पष्ट
(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्याः 2206(1–2)/11–5–2010 व दिनांकः 15 जून, 2010।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
2. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
4. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/शिविर लखनऊ।

ह0अस्पष्ट
(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

कम स0	संस्था का नाम	01 अप्रैल 2010 को आवंटित किन्तु अपंजीकृत	माह में आवंटित सम्पत्तियों की संख्या	कुल आवंटित परन्तु अपंजीकृत सम्पत्तियों	अपंजीकृत सम्पत्तियों में निहित स्टाम्प राजस्व	माह में पंजीकृत करायी गयी सम्पत्तियों की संख्या	पंजीकृत सम्पत्तियों में निहित स्टाम्प राजस्व	अवशेष अपंजीकृत सम्पत्तियों की संख्या	अवशेष अपंजीकृत सम्पत्तियों में निहित स्टाम्प शुल्क

		सम्पत्तियों की संख्या		की संख्या					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	विकास प्राधिकरण								
2	आवास एवं विकास परिशद								